

संख्या: 123 /68-5-2020

प्रेषक,

रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 17 मार्च, 2020

विषय: समग्र शिक्षा के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर 'शिक्षक संकुल' के गठन व कार्य-दायित्व के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या 902/68-5-2019 दिनांक 22 अक्टूबर 2019 के द्वारा जनपदों में प्रत्येक ब्लॉक के लिए 06 अकादमिक रिसोर्स पर्सन (ए.आर.पी.) का चयन किया जा रहा है। चयनित ए.आर.पी. संबंधित ब्लॉक के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों, शिक्षकों व विद्यार्थियों के बेहतर प्रदर्शन करने हेतु विद्यालय स्तर पर अपेक्षित सपोर्टिव सुपरविज़न प्रदान करेंगे। वर्तमान में जनपदों में ए.आर.पी. की चयन प्रक्रिया गतिमान है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ए.आर.पी. को सपोर्टिव सुपरविज़न में सहयोग देने तथा विद्यालयों के प्रदर्शन को बेहतर करने हेतु न्याय पंचायत स्तर पर विद्यालयों तथा ब्लॉक व जनपद कार्यालयों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु 'शिक्षक संकुल' का गठन का निम्नवत् किया जाना प्रस्तावित है:-

'शिक्षक संकुल' न्याय पंचायत के विद्यालयों में कार्यरत नवाचारी व बेहतर प्रयास करने वाले पाँच शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों का एक समूह है।

1. शिक्षक संकुल के मुख्य उद्देश्य

1.1 न्याय पंचायत के विद्यालयों को आधारशिला (फाउण्डेशनल लर्निंग), ध्यानाकर्षण (अधिगम आधारित शिक्षण) तथा शिक्षण संग्रह (कम्पेन्डियम) मॉड्यूल के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करना।

1.2 न्याय पंचायत के समस्त विद्यालयों के समस्त प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों, एस.आर.जी. सदस्यों तथा संबंधित ब्लॉक के ए.आर.पी. सदस्यों का एक WhatsApp समूह/ग्रुप बनाना जिस पर सूचनाओं/आंकड़ों/निर्देशों/सुझावों का आदान-प्रदान किया जा सके।

1.3 'शिक्षक संकुल' के सदस्यों द्वारा अपने विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करना।

1.4 विद्यालयों में प्रभावी शिक्षण तथा कक्षानुरूप अधिगम को सुनिश्चित करने हेतु न्याय पंचायत के प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों के विचारों को जानना व उन्हें प्रभावी फ़िडबैक देना।

1.5 ब्लॉक /जनपद तथा विद्यालयों के मध्य आवश्यक व महत्वपूर्ण सूचनाओं का आदान प्रदान करना।

2. 'शिक्षक संकुल' का गठन

2.1 प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक 'शिक्षक संकुल' होगा। अलग-अलग प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत नवाचारी व बेहतर प्रयास करने वाले पाँच शिक्षक/प्रधानाध्यापक इसके सदस्य होंगे।

2.2 'शिक्षक संकुल' के सदस्य अपने मूल विद्यालय में ही पदस्थापित रहेंगे तथा पूर्ववत शिक्षण कार्यों को करते हुए 'शिक्षक संकुल' के कार्य व दायित्व का भी निर्वहन करेंगे।

2.3 'शिक्षक संकुल' के सभी सदस्य समान रूप से समय-समय पर आवश्यकतानुसार इसके कार्यों को संपादित करेंगे।

2.4 'शिक्षक संकुल' के सदस्यों के विद्यालयों को विद्यालय विकास हेतु अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी ताकि उन्हें एक मॉडल/उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जा सके।

3. 'शिक्षक संकुल' के सदस्यों की चयन प्रक्रिया

यह महत्वपूर्ण है कि न्याय पंचायत के विद्यालयों से पाँच बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों का चयन 'शिक्षक संकुल' हेतु किया जाये। 'शिक्षक संकुल' के सदस्यों के चयन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जाएगी:-

3.1 अकादमिक रिसोर्स पर्सन (Academic Resource Person या ए.आर.पी.) संबंधित न्याय पंचायत के विद्यालयों के भ्रमण के दौरान पाँच सबसे अच्छे व बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों की पहचान करेंगे।

3.2 एक ब्लॉक के ए.आर.पी. अपने मध्य न्याय पंचायतों का बंटवारा कर संबंधित न्याय पंचायत में एक माह लगातार विद्यालय का भ्रमण करेंगे। भ्रमण के दौरान वे ऐसे शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों को चिन्हित कर एक सूची बनायेंगे जो अपना कार्य पूरे लगन से कर रहे हैं तथा जिनके विद्यालय व बच्चों का प्रदर्शन बेहतर है।

3.3 ए.आर.पी. ऐसे शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों को निम्न मानकों के आधार पर चिह्नित करेंगे तथा 1 से 3 के अंतर्गत उपयुक्त अंक (उत्कृष्ट के लिए 3, संतोषजनक के लिए 2 तथा प्रारंभिक स्तर के लिए 1 अंक) प्रदान करेंगे:

3.3.1 प्रधानाध्यापकों के लिए

3.3.1.1 विद्यालय में आवश्यक संख्या में कक्षा कक्ष, समुचित बैठक व्यवस्था विद्युत कनेक्शन, बालिकाओं व बालकों के लिए स्वच्छ शौचालय, स्वच्छ व हरा-भरा विद्यालय परिवेश, लाइब्रेरी/रीडिंग कार्नर आदि उपलब्ध हैं तथा क्रियाशील हैं। (1-3 अंक)

3.3.1.2 विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति की नियमित बैठक होती है तथा कार्यवाही रजिस्टर अद्यतन है। (1-3 अंक)

3.3.1.3 सेवित क्षे. त्र में कोई भी बच्चाओं ऑफ स्कूल नहीं हैं तथा माह की औसत उपस्थिति 80 प्रतिशत से अधिक है। (1-3 अंक)

3.3.1.4 प्रधानाध्यापक शिक्षकों के साथ साप्ताहिक तौर पर बैठक कर शिक्षण-अधिगम स्थिति की समीक्षा करते हैं तथा योजना बनाते हैं। (1-3 अंक)

3.3.1.5 विद्यालय में समयसारिणी तथा प्रत्येक कक्षा में विषयवार लर्निंग आउटकम के पोस्टर/चार्ट उपलब्ध हैं, उचित स्थान पर प्रदर्शित हैं तथा उसी अनुसार विद्यालय में शिक्षण कार्य व अन्य गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं। (1-3 अंक)

3.3.2 शिक्षकों के लिए

3.3.2.1 कक्षा के 50 प्रतिशत से अधिक बच्चों ने संबंधित विषय में कक्षानुरूप लर्निंग आउटकम प्राप्त कर लिया है। (1-3 अंक)

3.3.2.1 कक्षा 3-5 के 60 प्रतिशत से अधिक बच्चे व कक्षा 6-8 के 80 प्रतिशत से अधिक बच्चों ने हिन्दी व गणित विषयों में आधारभूत लर्निंग आउटकम (फाउण्डेशन लर्निंग) प्राप्त कर लिया है। (1-3 अंक)

3.3.2.3 शिक्षक शिक्षण योजना बनाते हैं, उसके अनुसार शिक्षण कार्य करते हैं जिसमें टी.एल.एम. व गतिविधियों (समूह कार्य, जोड़ी में कार्य आदि) का प्रयोग करते हैं। (1-3 अंक)

3.3.2.4 शिक्षक बच्चों की सीख स्तर/प्रगति का नियमित आकलन करते हैं। (1-3 अंक)

3.3.2.5 शिक्षक ने बच्चों की प्रोफाइल या अधिगम स्तर अनुसार रिकार्ड/सूची/चार्ट बनाया है। (1-3 अंक)

3.3.3 ए.आर.पी. विद्यालय के प्रधानाध्यापक व शिक्षकों के साथ बैठक कर उनकी भूमिकाओं व उपरोक्त बिन्दुओं पर उनके विचारों तथा वर्तमान स्थिति के सापेक्ष उनकी योजना को समझने का प्रयास करेंगे तथा तदनुसार अंक प्रदान करेंगे।

3.4 ए.आर.पी. चिन्हित शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों की एक सूची बनायेंगे तथा प्रत्येक मानकों पर उन्हें 1, 2 या 3 अंक प्रदान करेंगे। इस प्रकार प्रदान किये गये अंकों को जोड़ा जाएगा तथा प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट अनुसार एक सूची बनायी जाएगी। इसके लिए (संलग्नक-1) में दिए गए प्रारूप का प्रयोग करें।

3.5 सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 10 प्रधानाध्यापकों/शिक्षकों की सूची ए.आर.पी. द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-2) में तैयार की जाएगी। ये नाम प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट के

अनुसार तैयार की जाएगी जिसे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बी.ई.ओ.) को समीक्षा व अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी। इस सूची में ए.आर.पी. द्वारा 5 नाम 'शिक्षक संकुल' में चयन हेतु प्रस्तावित किया जाएगा। यह आवश्यक है कि अंतिम 5 सदस्यों की सूची में कम से कम 2 शिक्षक अवश्य हों।

3.6 ब्लॉक शिक्षा अधिकारी 'शिक्षक संकुल' की सूची को निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-3) में अनुमोदित करेंगे तथा जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जनपद के समस्त 'शिक्षा संकुल' की सूची राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा को रिकार्ड हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

4. 'शिक्षक संकुल' के कार्य व दायित्व

'शिक्षक संकुल' के सदस्यों के निम्नवत कार्य व उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाते हैं:

4.1 'शिक्षक संकुल' के सदस्य अपने विद्यालय में ही रहकर कार्य करेंगे। सामान्य परिस्थिति में वे विद्यालय को नहीं छोड़ेंगे। विशेष परिस्थिति में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के लिखित आदेशानुसार वे अपने न्याय पंचायत के विद्यालयों में आवश्यक कार्य हेतु जा सकते हैं।

4.2 न्याय पंचायत के समस्त विद्यालयों के समस्त प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों का एक WhatsApp समूह बनायेंगे जिस पर सूचनाओं/आंकड़ों/निर्देशों/सुझावों का आदान-प्रदान किया जाएगा। इस समूह में उस जनपद के समस्त एस.आर.जी. सदस्यों तथा संबंधित ब्लॉक के ए.आर.पी. सदस्यों को भी जोड़ा जाएगा। एस.आर.जी. व ए.आर.पी. सदस्य इस ग्रुप में विद्यालय/शिक्षक/विद्यार्थी संबंधी सकारात्मक केस स्टोरी साझा करेंगे ताकि इसका लाभ समस्त प्रधानाध्यापकों तथा शिक्षकों को मिल सके। साथ ही एस.आर.जी. के राज्य स्तर WhatsApp समूह के उपयुक्त व आवश्यक मैसेज भी इस ग्रुप पर साझा/अग्रेसित किये जाएं। WhatsApp समूह के नामकरण में आप शिक्षक संकुल का प्रयोग अवश्य करें।

4.3 विद्यालयों से सूचनाओं के संग्रहण व प्रेरणा ऐप पर अपलोड करने हेतु 'शिक्षक संकुल' के सदस्य न्याय पंचायत के विद्यालयों का आपस में विभाजन कर लें तथा उसी अनुसार विद्यालयों से फालोअप करें।

4.4 'शिक्षक संकुल' के सदस्य अपने विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करेंगे।

4.5 'शिक्षक संकुल' के सदस्य अपने तथा न्याय पंचायत के समस्त विद्यालयों में यह सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षक फाउण्डेशनल लर्निंग (आधारशिला), ध्यानाकर्षण (अधिगम आधारित शिक्षण), शिक्षण संग्रह (टीचर कम्पेन्डियम) तथा दीक्षा ऐप का नियमित उपयोग करें तथा उनमें वर्णित तरीकों व गतिविधियों का क्रियान्वयन करें।

4.6 न्याय पंचायत के विद्यालयों को शैक्षिक व सह-शैक्षिक गतिविधियों जैसे लर्निंग आउटकम आधारित आकलन, उत्सवों, प्रतियोगिताओं जैसे वाद-विवाद, खेल-कूद आदि के आयोजन में 'शिक्षक संकुल' के सदस्य मार्गदर्शन व अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगे।

- 4.7 'शिक्षक संकुल' के सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि न्याय पंचायत के समस्त विद्यालय लर्निंग आउटकम आधारित परीक्षा के परिणाम यथा स्कूल रिपोर्ट कार्ड व विद्यार्थीवार रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड कर लें तथा उसे शिक्षकों, अभिभावकों व विद्यार्थियों के साथ साझा करें।
- 4.8 'शिक्षक संकुल' के सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि न्याय पंचायत के समस्त विद्यालय मासिक स्तर पर जानकारियाँ व आंकड़े प्रेरणा ऐप पर अपलोड करें। इस हेतु वे विद्यालय के प्रधानाध्यापक को अपेक्षित मार्गदर्शन व सहयोग प्रदान करेंगे।
- 4.9 'शिक्षक संकुल' के सदस्य अपने विद्यालयों तथा न्याय पंचायत के समस्त विद्यालयों में नियमित रूप से प्रतिमाह विद्यालय विकास समिति (एस.एम.सी.) की बैठक सुनिश्चित करेंगे जिसमें मुख्य रूप से विद्यालय विकास तथा शैक्षिक बिन्दुओं पर चर्चा हो, निर्णय लिए जाएं तथा क्रियान्वित करने में उनकी मदद ली जाए। इस संबंध में विद्यालय व एस.एम.सी. को 'शिक्षक संकुल' के सदस्य अपेक्षित मार्गदर्शन व सहयोग प्रदान करेंगे।
- 4.10 'शिक्षक संकुल' के सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि न्याय पंचायत के समस्त विद्यालयों के एस.एम.सी. द्वारा प्रेरणा ऐप पर मॉनीटरिंग संबंधी आख्या अपलोड की जा रही हो।
- 4.11 'शिक्षक संकुल' के सदस्य यह सुनिश्चित करेंगे कि न्याय पंचायत के समस्त विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों जैसे आओ अंग्रेजी सीखें, जन पहल रेडियो, जीवन कौशल शिक्षा, मीना मंच आदि का नियमित व प्रभावी क्रियान्वयन हो रहा हो।
- 4.12 'शिक्षक संकुल' के सदस्य अपने न्याय पंचायत के शिक्षकों के कार्यों का अवलोकन कर व उनसे वार्ता कर उनकी प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को चिन्हित करेंगे तथा उससे एआर.पी. व बी.ई.ओ. को अवगत करायेंगे। एआर.पी. संबंधित विद्यालयों का भ्रमण कर सपोर्टिव सुपरविजन प्रदान करेंगे तथा प्रशिक्षण हेतु आवश्यकताओं को समझकर सूची बनायेंगे जिसे वे जिला समन्वयक-प्रशिक्षण व एस.आर.जी. के सदस्यों के साथ साझा करेंगे।
- 4.13 'शिक्षक संकुल' अपने न्याय पंचायत के शिक्षकों के WhatsApp समूह के माध्यम से नियमित रूप से न्याय पंचायत के विद्यालयों में हो रहे बेहतर व नवाचारी कार्यों को साझा करेंगे। साथ ही वे अन्य विद्यालयों/जनपदों या अन्यत्र हो रहे शैक्षिक नवाचारों को भी समूह के माध्यम से समस्त शिक्षकों के साथ साझा करेंगे ताकि शिक्षक इनसे प्रेरणा प्राप्त कर बेहतर करने के प्रति अग्रसर हों।
- 4.14 'शिक्षक संकुल' के सदस्य अपने ब्लॉक के ए.आर.पी. का सहयोग अपने न्याय पंचायत के विद्यालयों के प्रदर्शन में सुधार हेतु करें।

5. शिक्षक संकुल' का कार्यकाल व अन्य निर्देश

- 5.1 वर्ष 2020-2021 के लिए शिक्षक संकुल का चयन 15 मार्च 2020 तक कर लिया जाए। इसके लिए संबंधित जनपद के बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगे। इस चयन प्रक्रिया को वे संबंधित ब्लॉक के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बी.ई.ओ.) तथा अकादमिक रिसोर्स पर्सन के माध्यम से पूर्ण करेंगे।

5.2 एक 'शिक्षक संकुल' का कार्यकाल 01 वर्ष का होगा। अगले वर्ष हेतु पुनः नवीन 'शिक्षक संकुल' का चयन किया जाएगा। कोई एक सदस्य अधिकतम 02 वर्ष तक लगातार 'शिक्षक संकुल' का सदस्य हो सकता है। लेकिन प्रत्येक वर्ष उसका चयन पूर्व वर्णित चयन प्रक्रिया के आधार पर ही होगा। अगले वर्ष के 'शिक्षक संकुल' में कम से कम 02 नये सदस्यों का होना अनिवार्य है।

5.3 'शिक्षक संकुल' के सदस्यों को उपरोक्त कार्यों हेतु वार्षिक तौर पर ₹0 2500/- दिये जाएंगे। इसके अतिरिक्त उन्हें किसी भी प्रकार का अन्य भत्ता देय नहीं होगा।

कृपया उक्त निर्देशों का पालन करते हुए तय समय सीमा के अंदर अपने जनपद के समस्त न्याय पंचायतों में 'शिक्षक संकुल' का चयन पूर्ण करायें।

भवदीया

रणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, ३०प्र०।
- 2- राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, ३०प्र०।
- 3- जिलाधिकारी, समस्त जनपद, ३०प्र०।
- 4- मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, ३०प्र०।
- 5- शिक्षा निदेशक (बेसिक), ३०प्र०।
- 6- निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ३०प्र०।
- 7- सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज, ३०प्र०।
- 8- प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, ३०प्र०।
- 9- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, ३०प्र०।
- 10- खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, ३०प्र०।।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

उमेश कुमार तिवारी
उप सचिव।